27.04.2025

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1, 2, 6, 7, 8 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आए। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी सं0 3, 4 व 5 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब टी0आई0 पेश नहीं किये जाने पर जवाब टी0आई0 बंद किया जाता है। वकील उभय पक्ष की बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थीगण को भी सुना गया।

हमने वकील उभय की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम शिश्यू प0ह0 शिश्यू, भू0अ0नि0 पलसाना तह0 दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित ख0नं0 2640, 2641, 2642 कुल किता 3 कुल रकबा 2.4800 है0 जो कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमियां है जिसमें प्रार्थी सं0 1 का हिस्सा 1/3, प्रार्थी सं0 2 का हिस्सा 3671/18600, अप्रार्थी सं0 1,2 व 3 प्रत्येक का 281/6200, अप्रार्थी सं0 4 व 5 प्रत्येक का 1/6, 1/6 हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त है तथा इसी अनुसार प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण मौके पर काबिज है तथा पक्षकारान के मध्य विधिवत रूप से बाई मिट्स एंव बाउण्डस विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। मूल वाद में वकील वादीगण व प्रति0सं0 4 व 5 की सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन पत्र अं0 धारा 212 आरटीएक्ट पेश कर इसे स्वीकार कर अप्रार्थी सं0 1 ता 5 को मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने हेतु निवेदन किया है। चूंकि प्रकरण में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायालय उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम शिश्यू प0ह0 शिश्यू तहसील दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित कृषि भूमि ख0नं0 2640, 2641, 2642 कुल किता 3 कुल रकबा 2.4800 है0 में मूल वाद के निस्तारण तक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

Scanned with CamScanner